(27

पुलिस आदेश 234/93

विषय:- आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग तथा आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालयों में विभागीय परीक्षाओं का संचालन ।

--0--

आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग में निम्नलिखित प्रशिक्षण सत्रों की समाप्ति के बाद सत्रान्त परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसका महत्व विभागीय परीक्षा के समतुल्य है ।

1. आरक्षी उपाधीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
2. आरक्षी अवर निरीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
3. सहायक लोक अभियोजक का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
4. उत्पाद अवर निरीक्षक/निरीक्षक का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र ।
5. सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रशिक्षण सत्र ।

इनके अतिरिक्त, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, पदमा प्रशिक्षण संस्थान ~~ब~~ टी०टी०एस० जमशेदपुर तथा सैन्य पुलिस की वाहिनियों में जिला बल के आरक्षियों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र तथा हवलदार की कोटि में प्रोन्नति हेतु एस०एल०सी० प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं ।

कंडिका 1 से 5 के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सत्र के अन्त में पी०टी०सी० हजारीबाग द्वारा आयोजित सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । बुनियादी प्रशिक्षण की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी की अगली वेतन - वृद्धि तथा सम्पुष्टि रोकी जाती है तथा पूर्णतः अनुत्तीर्ण हो जाने पर परीक्ष्यमान अवधि समाप्त की जा सकती है । अतः ये परीक्षाएँ विभागीय कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । परीक्षाओं के संचालन के लिए ~~प्र~~ पी० टी०सी० नियमावली के नियम 3.18 में दी गयी प्रक्रियाएं वर्तमान में अपनायी जाती हैं परन्तु बदली हुई परिस्थिति में कुछ ऐसी परम्पराएँ कार्य प्रणाली में आ गयी हैं जिनका कोई नियमित आधार नहीं है । अतः विभागीय परीक्षाओं के सुगम संचालन एवं सम्पादन हेतु उपलब्ध नियमों, परम्पराओं को [illegible] संशोधित एवं सम्प्रसारित करते हुए निम्न प्रकार नियमन प्रणित कर प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाती हैं :-

1. प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के अन्त में प्राचार्य पी०टी०सी० तथा प्रशिक्षण विद्यालयों के प्राचार्य परीक्षा की तिथि ~~परीक्षा~~ निर्धारण तथा परीक्षकों को मनोनीत करने का प्रस्ताव प्रशिक्षण मुख्यालय को भेजेंगे । महानिदेशक/अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक प्रशिक्षण द्वारा परीक्षा की तिथि एवं परीक्षकों का नाम अनुमोदित कर सूचित किया जाएगा ।

2. (क) प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि से परीक्षा आयोजित करने हेतु तुरत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

। प्रकाशित
ा तथा
ी पी०टी०सी०
कन कार्य करने के
पाठ्यक्रम एवं
दो ~~प्रश्न~~
के नाम पर
हमति प्रकट
प्रशिक्षण
प्ति के अनुसार
जी हिरासत
ों को खोलकर
एगा ।
ा कार्य
प्त संख्या में
त किया जाएगा ।
सम्पादन हेतु
प्राचार्य द्वारा
लेखों को इन
प्रश्न पत्र,
कन हेतु भेजे
रीक्षाओं
~~परीक्षाओं~~ के लिए
न्तु अवर निरीक्षक
र कम से कम आरक्षी
क्षकों के मार्गदर्शन
र आवश्यक दिशा

(ख) परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को विज्ञापन प्रकाशित कर प्राचार्य द्वारा सूचित किया जाएगा । उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा परीक्षा केन्द्र का व्यवस्थापन प्राचार्य द्वारा किया जाएगा ।

(ग) अनुमोदित परीक्षकों एवं प्रश्न चयनकर्त्ताओं को प्राचार्य पी०टी०सी० हजारीबाग मनोनयन प्रस्ताव भेजेंगे एवं उन्हें प्रश्न चयन करने एवं मूल्यांकन कार्य करने के लिए अनुरोध करेंगे । परीक्षकों द्वारा पी०टी०सी० से प्राप्त मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम एवं नमुना प्रश्न पत्रों के आधार पर सम्बन्धित पत्र में प्रश्नों का चयन कर दो मोहरबन्द लिफाफे में प्रश्न पत्रों को प्राचार्य पी०टी०सी०, हजारीबाग के नाम पर निर्धारित तिथि के अन्दर अवश्य भेज दिया जाएगा ।

(घ) यदि कोई मनोनीत परीक्षक परिस्थितिवश अपनी असहमति प्रकट करें तो उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्राचार्य द्वारा पुनः प्रशिक्षण मुख्यालय से अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और अनुमोदन प्राप्ति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(ङ) प्रश्न पत्रों को प्राचार्य, पी०टी०सी० द्वारा अपने निजी हिरासत में रखा जाएगा । परीक्षा की तिथि के सुबह प्राचार्य द्वारा प्रश्न पत्रों को खोलकर टंकण एवं प्रतिलिपिकरण हेतु अधीक्षक, पी०टी०सी० को सुपुर्द किया जाएगा । अधीक्षक अपनी उपस्थिति में प्रश्न पत्र का टंकण एवं प्रतिलिपिकरण का कार्य कराऐंगे । परीक्षा प्रारम्भ होने के 10-15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र पर्याप्त संख्या में वीक्षकों को उपलब्ध कराए जाऐंगे जो परीक्षार्थियों के बीच वितरीत किया जाएगा ।

(च) पी०टी०सी० की परीक्षा शाखा में दैनन्दिन कार्य सम्पादन हेतु निरीक्षक/अवर निरीक्षक कोटि के एक पदाधिकारी एवं एक लिपिक प्राचार्य द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाऐंगे । परीक्षा शाखा सम्बन्धी संचिका एवं अभिलेखों को इन कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित एवं गोपनीय रखा जाएगा ।

(छ) परीक्षा संचालन के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाएं, प्रश्न पत्र, मूल्यांकन सूची के साथ मोहरबन्द लिफाफे में परीक्षकों के पास मूल्यांकन हेतु भेजे जाऐंगे ।

3. परीक्षक का स्तर :-

पी०टी०सी०, हजारीबाग में आयोजित होनेवाली परीक्षाओं के लिए परीक्षक का स्तर कम से कम आरक्षी अधीक्षक कोटि का रहेगा परन्तु अवर निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक की परीक्षाओं के लिए परीक्षक का स्तर कम से कम आरक्षी उपाधीक्षक तथा अधिक से अधिक आरक्षी अधीक्षक का होगा । परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिए मुख्यालय से या प्राचार्य, पी०टी०सी० द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भेजे जाऐंगे ।

4. प्रश्न पत्रों की समीक्षा :-

(25

4 . प्रश्न पत्रों की समीक्षा :-

प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उसकी समीक्षा की जायेगी यदि यह पाया गया कि प्रश्न पत्रों का स्तर संबंधित कोटि के परीक्षार्थियों के स्तर से उच्च है या अधिक कठिन है या पाठ्यक्रम से बाहर संकलित किया गया है तो उन प्रश्न पत्रों में आवश्यक संशोधन समिति द्वारा किया जा सकता है। इस समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त पदक्रम के प्रभारी एवं ~~अपर अपराधी~~ महानिदेशक ~~(प्रशिक्षण)~~ के सहायक (प्रशिक्षण) रहेंगे ।

5. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन :-

(क) परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में परीक्षार्थियों के स्तर, खासकर शैक्षिक स्तर को अवश्य ही ध्यान में रखना होगा । यदि परीक्षार्थियों का स्तर वांछित स्तर से कम है तो परीक्षक को मूल्यांकन करते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि अधिक संख्या में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण न हों ।

(ख) ~~फिर भी यदि~~ किसी पत्र में ~~50 प्रतिशत या~~ 50 प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हों, तो उक्त गठित समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं को पुर्नमूल्यांकन हेतु दोबारा सम्बन्धित परीक्षक के पास आवश्यक मार्गदर्शन के साथ भेजा जाएगा । परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवश्य लौटा देंगे ताकि परिणाम घोषित करने में अत्यधिक विलम्ब न हों ।

(ग) परीक्षाफल को देखते हुए कृपांक देने की अनुशंसा प्राचार्य द्वारा की जा सकती है परन्तु अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा ।

६. अंतिम परिणाम :-

(क) पी०टी०सी० की परीक्षा शाखा द्वारा परीक्षा का परिणाम संकलित कर अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा । इसके बाद अधीक्षक, पी०टी०सी० द्वारा इसकी चैक ~~चेक~~ की जाएगी । परीक्षा शाखा प्रभारी तथा अधीक्षक, पी०टी०सी० जाँचोपरान्त परीक्षाफल की प्रतियों पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात प्राचार्य द्वारा त्रुटिहीन पाये जाने पर परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा । परिणाम तैयार हो जाने पर असाधारण टिप्पणी एवं अनुशंसा के साथ प्राचार्य परिणाम की दो प्रतियाँ अनुमोदन हेतु मुख्यालय भेजेंगे ।

~~[illegible]~~ (ख) परिणाम मुख्यालय द्वारा आवश्यक समीक्षोपरान्त अनुमोदित किया जाएगा एवं इसे प्रकाशन हेतु प्राचार्य को लौटा दिया जाएगा । कृपांक के सम्बन्ध में निर्णय होने पर परिणाम पत्र पर मुख्यालय में ही आवश्यक संशोधन कर दिया जाएगा ।

(ग) मुख्यालय से अनुमोदित परिणाम प्राप्त होने के पश्चात प्राचार्य

क्षेत्रादेश निर्गत कर उक्त परिणाम को घोषित करेंगे एवं सभी प्रशिक्षणार्थी की सेवा- पुस्त में उक्त परिणाम की प्रविष्टि कर दी जाएगी ।

(घ) पुलिस हस्तक नियम 658(।।।) के नीचे दी गयी टिप्पणी के अनुसार अवर निरीक्षक प्रशिक्षुओं की अंतिम परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण एवं श्रेष्ठ योग्यतानुसार प्रथम कुल प्रशिक्षणार्थियों के 10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को एक अग्रिम वेतन- वृद्धि स्वीकृत की जाएगी ।

7. कृपांक :-

(क) वर्तमान पी० टी० सी० नियमावली में कृपांक के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है । किन्तु पुलिस हस्तक नियम 682(सी) में महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार को यह शक्ति प्रदत्त है कि वे अवर निरीक्षक और समकक्ष पंक्ति के प्रशिक्षणार्थी को सत्रान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को मार्जित कर सकते हैं । इस प्रावधान का विस्तारपूर्वक अर्थ लगाते हुए परीक्षा में कृपांक प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख) अधिकतम 10 प्रतिशत कृपांक 2 विषयों में-एक इनडोर विषय तथा दूसरे आउट- डोर विषय में अलग अलग दिया जा सकता है । कृपांक देने की शक्ति महानिदेशक/अपर महानिदेशक प्रशिक्षण/महानिरीक्षक, प्रशिक्षण में निहित होगी; यह प्रावधान सभी तरह के ~~परीक्षाओं~~ प्रशिक्षण पर लागू होगा । इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत पुलिस आदेश 224/91 निरस्त किया जाता है ।

8. प्रशिक्षणार्थी को सत्रांत परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए अंतिम परीक्षा के बाद दो अवसर प्रदान किए जाएँगे । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को एक अधिक अवसर दिया जाएगा । बाह्य विषय (आउट डोर विषय) में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को पूरक परीक्षा में भाग लेने के पूर्व इन दिनों के सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण केन्द्र में सम्मिलित होना होगा । उपलब्ध अवसरों में सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षणार्थी को अंतिम रूप से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा । सीधी नियुक्ति के बाद बुनियादी प्रशिक्षण की स्थिति में उनकी वेतन- वृद्धि एवं सम्पुष्टि धारित रहेगी तथा नियुक्ति पदाधिकारी अथवा सरकार के निर्णयानुसार उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी । प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को प्रोन्नति हेतु अयोग्य समझा जाएगा तथा पहले से प्रोन्नत होने की स्थिति में उन्हें मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।

9. (क) प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासनहीनता एवं कदाचार में लिप्त पाये जाने पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण से वंचित किया जा सकता है । प्राचार्य प्रशिक्षणार्थी को घोर अनुशासनहीनता या कदाचार का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर पैतृक जिला वापस कर सकते हैं । उनके विरुद्ध विभागीय

(23

कार्यवाही चलाकर दण्डित करने की कार्यवाई सम्बन्धित आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा द्वारा की जायगी ।

(ख) नवनियुक्त पदाधिकारी जो सीधे बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पी० टी० सी० में योगदान देते हैं उनके विरुद्ध घोर अनुशासनहीनता या कदाचार का आरोप पाये जाने पर, प्राचार्य पी० टी० सी० द्वारा आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ की जाएगी एवं विभागीय कार्यवाही निष्पादित होने तक उन्हें पी० टी० सी० में रोक कर रखा जायगा । उतने दिन तक उनकी परीक्ष्यमान अवधि स्वतः विस्तारित हो जायगी ।

(ग) आरक्षी उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता या कदाचार का आरोप पाये जाने पर उनके बारे में विस्तृत जाँच प्राचार्य, पी० टी० सी० द्वारा की जाएगी एवं मुख्यालय को आवश्यक अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया जायगा । आगे की कार्रवाई मुख्यालय के आदेश पर की जाएगी ।

(घ) <u>कदाचार</u> :-

पी० टी० सी० की सत्रान्त परीक्षा में कदाचार अपनाते हुए पाये जाने पर परीक्षार्थी को उक्त पत्र में अनुत्तीर्ण तथा प्राप्तांक शून्य माना जाएगा एवं अलग से विभागीय कार्यवाही का संचालन कर उन्हें कदाचार के लिए दण्डित भी किया जायगी ।

10. आरक्षी एवं ए० एस० आई० ~~प्रशिक्षणार्थी~~ प्रशिक्षणार्थी के अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षण केन्द्र में रोक कर एक माह ~~तक~~ तक गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा परीक्षा लेकर उनको पैतृक जिला वापस किया जायगा ।

11. <u>विशेष प्रशिक्षण</u> :-

~~प्रशिक्षणार्थ~~ जो प्रशिक्षणार्थी ~~तीन या तीन~~ एक या अधिक (दो) से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे उनके लिए उन विषयों में 6 सप्ताह का ~~गहन~~ प्रशिक्षण कराया जा सकता है और विशेष पूरक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है । यह एक विशेष मौका माना जायगा । यह विशेष मौका प्रशिक्षणार्थियों ~~के लिए मौकों~~ के लिए उपलब्ध अन्य दो मौकों में शामिल नहीं किया जायगा । जो प्रशिक्षणार्थी तीन या तीन से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे ~~वे~~ प्रशिक्षण कार्यक्रम ... x

x ...वाले सत्र में पुनः प्रशिक्षित होंगे ।

12. <u>अभ्यावेदन</u> :- यदि किसी परीक्षार्थी को अपनी उत्तर-पुस्तिका के मूल्यांकन पर सन्देह हो और इसका यथेष्ट कारण हो तो वह इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र अथवा प्रशिक्षण मुख्यालय को दे सकता है । आवेदक द्वारा प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के लिए 100/= (एक सौ रुपये) पुनर्मूल्यांकन शुल्क सरकारी कोष में जमा करना होगा । पुनर्मूल्यांकन या अंक जोड़ाई पर उपलब्ध परिणाम उक्त उत्तर पुस्तिका के लिए अन्तिम परिणाम माना जाएगा । यह सुविधा परीक्षार्थी को मात्र एक बार उपलब्ध होगी । अभ्यावेदित पत्र के लिए

(22

परीक्षक प्रशिक्षण मुख्यालय द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। पुनर्मूल्यांकन या अंक जोड़ाई के बाद परिणाम में परिवर्त्तन होने पर प्राचार्य उक्त परिणाम को अनुमोदन के लिए पुनः मुख्यालय भेजेंगे। मुख्यालय के अनुमोदन के बाद प्राचार्य पुनरीक्षित परिणाम संशोधित क्षेत्रादेश निर्गत कर घोषित करेंगे।

12. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा इस आदेश के आलोक में पूर्व में निर्गत आदेश स्वतः समाप्त समझे जाएँगे।

ह०/-

(अरूण कुमार चौधरी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2264 /प्र०प्र० ~~वि०~~
4-2-93

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17/ अप्रैल 1993

प्रतिलिपि:--

1. अपर आरक्षी महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं पुलिस आदेश में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

3. ~~आ~~ आरक्षी उपमहानिरीक्षक प्रशिक्षण-सह- प्राचार्य, आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. आरक्षी अधीक्षक, एम०पी०टी०सी०, पदमा, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

5. प्राचार्य, सी०टी०एस०, नाथनगर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

6. प्राचार्य, यातायात एवं परिवहन प्रशिक्षण, विद्यालय, जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

7. सभी समादेष्टा, सैन्य पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

8. सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी रेल आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ।

9. महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना तथा सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक को सूचनार्थ।

10. अपर आरक्षी महानिदेशक, सशस्त्र बल, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

11. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उपमहानिरीक्षक/सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस/आरक्षी उपमहानिरीक्षक रेलवे, बिहार, पटना/राँची को सूचनार्थ।

12. आरक्षी महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह०/-

(अरूण कुमार चौधरी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक